न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 131/2018

विनोद कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी 13 डी.ओ.एल. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. भूपराम पुत्र छोगाराम जाति बिश्नोई निवासी 7 डी.ओ.एल.घडसाना तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावला जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना
दिनांक 31.07.2018

उपस्थिति—

श्री अजय धारणीया अभिभाषक अपीलांट

श्री मदनसिंह चारण अभिभाषक रेस्पों.

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक— 15/7/2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 ने उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का पेश कर कथन कियाा कि प्रार्थी के नाम से चक 9 डी.ओ.एल. —बी के प.नं. 54/19 मु.नं. 23 के कि.नं. 1 ता 4, 22 ता 25 की कुल 1.889है0 व प.नं. 54/18 मु.नं. 16 के कि.नं. 22 की 0.253है0 कुल 2.152है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से चक 9 डी.ओ.एल.—बी के पं.नं. 54/19 मु. नं. 23 के कि.नं. 5 ता 10, 12 ता 19 की कुल 3.239है0 भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थी के उक्त मुरब्बा के चिपते मु.नं. 54/27 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृतशुदा रास्ता है जिससे होते हुए प्रार्थी अपने मुरब्बा के कि.नं. 5 जो अब अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उसमें से होकर अपनी भूमि मु.नं. 54/19 में आता जाता था लेकिन उक्त मु.नं. 5 की भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थी सं. 1 द्वारा खरीद करने के बाद उक्त कि.नं. 5 में चालू रास्ता को अप्रार्थी सं. 1 ने बन्द कर दिया। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर चक 9 डी.ओ.एल.–बी के प.नं. 54/19 मु.नं. 23 के कि.नं. 5 की उत्तर दिशा में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने व उक्त रास्ता को पुनः चालू करवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

(A) तहसीलदार राजस्व घडसाना जरिये राज पैरोकार 7 बिन्दुओं का जबाब पेश कर कथन किया कि उचित आदेश प्रदान करे।

(B) अप्रार्थी सं. 1 ने जबाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र अप्रार्थी सं. 1 को महज परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है जिसे मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

(C) उपखण्ड अधिकारी घडसाना ने अपने आदेश दिनांक 31.07.18 से प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के लिए अप्रार्थी विनोद कुमार की कृषि भूमि चक 9 डी.ओ.एल–बी का प.नं. 54/19 मु.नं. 23 के कि.नं. 5 में 2 बिस्वा रास्ता अप्रार्थी की रास्ता में आने वाली कृषि भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रार्थी भूमि की डीएलसी दर की दो गुणी कीमत अदा करेगा शर्त पर रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध, वास्तविक तथ्यों के विपरीत एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत पारित किया गया होने के कारण प्रथम दृष्टया ही काबिले निरस्ती है। अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रा.पत्र के तथ्यों को नजरअन्दाज किया गया है। प्रश्नगत कृषि भूमि का खाता विभाजन पक्षकारों द्वारा पूर्व में सक्षम विधिक कार्यवाही कर किया जा चुका है जिसमें उक्त रास्ता बाबत कोई भी विवाद अथवा सहमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा भूमि खरीद करने के पश्चात द्वेषतावश इस रास्ते की मांग की गई है जो स्वीकार योग्य नहीं है। अधी. न्यायालय में बहस में यह तथ्य सुझाया गया

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

था कि अपीलांट भूमि के बदले भूमि चाहता है लेकिन अधी. न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया एवं अपीलांट के कि.नं. 5 में 2 बिस्वा भूमि को रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

(ii) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अधी. न्यायालय ने रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृत किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) रेस्पों. ने अपील का विरोध करते हुए विशेष कथन नहीं किया। अपीलांट का कथन है कि पूर्व में सहखातेदारों के बीच खाता विभाजन के समय रास्तों को लेकर कोई विवाद नहीं था। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने–जाने के लिये मुरब्बा के चिपते मु.नं. 54/27 कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में के स्वीकृत रास्ते व स्वयं के मुरब्बे के कि.नं. 5 जो अप्रार्थी के नाम रिकार्ड में है, रास्ते का उपभोग करता आ रहा है।

(b) अप्रार्थी ने उक्त भूमि कय कर ली तब से उसने बिना स्वीकृत रास्ते को बन्द कर दिया। इसलिए प्रार्थी ने उसके मुरब्बा के कि.नं. 5 में से दो बिस्वा रास्ता चाहा जिसे उपखण्ड अधिकारी ने उचित मानते हुए दिनांक 31.07.18 को स्वीकार किया।

(c) हमने पक्षकारों की बहस व निर्णय का अवलोकन किया। यह स्पष्ट है कि जिस भूमि में रास्ता दिया गया है वह सहखातेदारों के बीच पूर्व से प्रचलित रूप से रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग में आ रही थी।

(d) रास्ते का विवाद नये केता के भूमि में प्रवेश के कारण पैदा हुआ। ऐसे केता का दायित्व था कि वह पूर्व के प्रचलित रास्ते को जो सुखाचार के रूप में था में बाधा ना पंहुचाए। यह रास्ता नहीं रोका जाना चाहिए। तथापि उपखण्ड अधिकारी का आदेश उचित व न्यायसंगत है, उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15/7/2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)